हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 24 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–33/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2011 का विधेयक संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.–**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 4 का संशोधन.–**हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) और (ग) में "2,00,000/–" अंकों और चिन्हों के स्थान पर "4,00,000/–" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

3. **धारा 14 का संशोधन.–**मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु व्यौहारी ऐसा आवेदन विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकेगा । "।

4. धारा 28 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 28 में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित् किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के प्रतिदाय के लिए तथा ऐसे प्रतिदाय के लिए पश्चात्वर्ती अनुमोदन हेतु आवेदन विहित रीति में इलैक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकेगा । "।

5. नई धारा 56—क का अन्तःस्थापन.—इलैकट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, अंकीय चिह्नक, इलैक्ट्रॉनिक नियमन, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण, सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों, सुरक्षित अंकीय चिह्नक और अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहां कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाईन आवेदन करता है तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नक के अधीन करना अपेक्षित होगाः

परन्तु जहां ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से ऑन लाईन आवेदन करने के सात दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल बैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलक्ट्रॉनिकली किए गए आवेदन की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न होने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ई–रजिस्ट्रीकरण, विवरणियों की ई–फाईलिंग, ई–घोषणा की प्रसुविधा और प्रतिदाय के लिए आवेदन की इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग और उसके प्रतिदाय के अनुमोदन के साथ–साथ इलैक्ट्रॉनिक नियमन, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रेषण, सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित अंकीय चिह्नकों और किसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार की गई इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्तर्हित क्षेत्रों में बेहतर इलैक्ट्रॉनिक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में उपयुक्त उपबन्ध सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य में लघु और सीमान्त व्यापारियों तथा विनिर्माताओं जैसे कि ढाबे, मिठाई की दुकानें, चाटवाला, पानवाला और इसी प्रकार के अन्य खान–पान स्थापनों की प्रसुविधा के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन विद्यमान कराधेय मात्रा की सीमा को 2,00,000/– से बढ़ाकर 4,00,000/– तक करने का विनिश्चय भी किया गया है । यह उन लघु स्थापनों को कर के दायरे से बाहर रहने में सहायक होगा और विभाग इस वर्ग के व्यापारियों और विनिर्माताओं, जिनकी कराद्येय मात्रा प्रतिवर्ष 4,00,000/– से अधिक हो जाती है, को या तो नियमित व्यौहारियों के रूप में रजिस्ट्रीकृत करके या उन्हें हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 50 के अधीन एक मुश्त स्कीम को अपनाने के लिए प्रेरित करके विनियमित करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देयों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री ।

शिमलाः

तारीखः....., 2011

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर कर के संग्रहण में कुछ कमी आएगी, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है; तथापि, इस श्रेणी के अन्तर्गत व्यौहारियों का नया रजिस्ट्रीकरण राज्य के कर ढाँचे में बढौतरी हेतु निश्चित रूप से सहायक होगा । विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विधमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे कोई अतिरिक्त व्यय अन्तवर्लित नहीं होगा ।

———————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

––शून्य––

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें ।

(नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन–एफ(5)–1/2010)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

f*urther to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (6), in clauses (b) and (c), for the figures and signs "2,00,000/-", the figures and signs "4,00,000/-" shall be substituted.

3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, after sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a dealer may also make such application electronically in the prescribed manner.".

4. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act, after first proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that an application for refund of input tax credit and subsequent approval for such refund may also be made electronically in the prescribed manner.".

5. Insertion of new section 56-A.—Procedure to maintain records through electronic data system etc.— (1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to digital signatures, electronic governance, attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records, secure

electronic records, secure digital signatures and digital signature certificates shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person or dealer who make an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature the said person or dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide better electronic facilities covering areas of e-registration, e-filing of returns, facility of e-declaration and electronic filing of refund application and approval of refund thereof, as well as electronic governance, dispatch of electronic records, secure electronic records, secure digital signatures and electronic communication prepared on any electronic data processing system, it has been decided to incorporate suitable provision in the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005. Further, in order to benefit the small and marginal traders and manufacturers such as dhabas, sweet-meat shops, chatwala, panwala and similar other catering establishments in the State, it has been decided to enhance the existing taxable quantum limit from 2,00,000/- to 4,00,000/- under section 4 of the Act ibid. It will help these small establishments to remain outside tax net and the department will be in a better position to regulate the remaining traders and manufacturers of this class whose taxable quantum exceeds 4,00,000/- per annum either by registering them as regular dealers or motivating them to opt for lump-sum scheme under rule 50 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla:
The————————2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of clause 2 of the Bill when enacted may result in some reduction in tax collection, which cannot be quantified, however, the new registration of dealers under this class will certainly help in expanding State's tax base. The provisions of the Bill when enacted will be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

——Nil——

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

File No.: EXN-F(5) 1/2010

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2011, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.